

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०
के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

शुनाथपुरा

1190
2021

श्रीमान जी पं हल्का शुनाथपुरा के राजस्व
खाता नं० 246, 182, 124 में प्रार्थी का नाम रामोत्तार
के नाम गलत दर्ज है खता नं० 68, 121 में प्रार्थी का नाम रामोत्तार पुं
ल गलत दर्ज है जिसके स्थान पर दलान दस्तावेजों के आधार पर
श्रीमान श्रीमालदास पुं गिना जाना उचित है।

क : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

10/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाने की अनुमति दी जाती है / नहीं
की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलाक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 10/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
(1)	श्रीलाखड़ा	2075 से 2078	246, 182 68, 124, 121	रामोत्तार पुं मालदास	रामोत्तार पुं मालदास

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1004-05
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/11/21

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी